बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

Email

पत्रांक : 6/ग्रा0 ज0 1-101/2014(खण्ड)- 279(ग्रा0) पटना- 15, दिनांक : 10/11/17

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,

लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, पटना पूर्व / अरवल / हाजीपुर / छपरा।

विषय : वर्ष 2017-18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" वर्ष 2014-15 के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख-रखाव एवं मरम्मति हेतु 57.45 लाख रूपये (सन्तावन लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख-रखाव एवं मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक- 6/ग्रा0 ज0 1-101/2014- 258 दिनांक- 28/01/15 द्वारा 25868.961 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017-18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण हेतु 57.45 लाख रूपये (सन्तावन लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र का प्रमण्डलवार आवंटन निम्न तालिका के अनुसार किया जाता है :

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	नगर निकाय का नाम	कुल वार्डो की संख्या	भौतिक लक्ष्य	आवंटित राशि (लाख रूपये में) अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पटना	पटना पूर्व	मोकामा, नगर परिषद	28	56	3.65	तीन लाख पैंसठ हजार रूपये मात्र।
2	अरवल	अरवल	अरवल, नगर परिषद	25	50	4.00	चार लाख रूपये मात्र।
3	वैशाली	हाजीपुर	हाजीपुर, नगर परिषद	39	78	18.00	अठारह लाख रूपये मात्र।
4	वैशाली	हाजीपुर	लालगंज, नगर पंचायत	19	19	5.00	पाँच लाख रूपये मात्र।
5	वैशाली	हाजीपुर	महनार, नगर पंचायत	23	23	7.00	सात लाख रूपये मात्र।
6	सारण	छपरा	छपरा, नगर परिषद	44	88	10.80	दस लाख अस्सी हजार रूपये मात्र।
7	सारण	छपरा	सोनपुर, नगर पंचायत	21	21	2.00	दो लाख रूपये मात्र।
8	सारण	छपरा	दिघवारा, नगर पंचायत	18	18	0.50	पचास हजार रूपये मात्र।
9	सारण	छपरा	मढ़ौरा, नगर पंचायत	16	16	1.50	एक लाख पचास हजार रूपये मात्र।
10	सारण	छपरा	रिविलगंज, नगर पंचायत	21	21	1.00	एक लाख रूपये मात्र।
11	सारण	छपरा	एकमा बाजार, नगर पंचायत	19	19	1.50	एक लाख पचास हजार रूपये मात्र।
12	सारण	छपरा	परसा बाजार, नगर पंचायत	22	22	2.50	दो लाख पचास हजार रूपये मात्र।
			कुल	295	431	57.45	सन्तावन लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष- 4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय- उपमुख्य शीर्ष- 02 मल- जल तथा सफाई- लघु शीर्ष- 106 मल- जल सेवाएँ- मांग संख्या- 36 उप शीर्ष- 0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण- विपत्र कोड- 36-4215021060104- विषय शीर्ष- 0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व दरों की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।

4. इस आवंटन से होने वाला व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किये जाने वाले चापाकलों पर किया जायेगा।

5. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

7. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक एम0 04 - 05/98 - 2561 (वि0 2) दिनांक - 17 04 98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

8. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव

ज्ञापांक : 279(आ0)   पटना, दिनांक : 10/11/17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / मगध / तिरहुत / सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, पटना / अरवल / वैशाली / सारण / उप विकास आयुक्त, पटना / अरवल / वैशाली / सारण को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, पटना / अरवल / हाजीपुर / छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. सचिव के आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / विशेष मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / अधीक्षण अभियन्ता (यो0) / अधीक्षण अभियन्ता, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, आरा / अधीक्षण अभियन्ता, मुजफ्फरपुर / अधीक्षण अभियन्ता, छपरा / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0-I) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई0 टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी - 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव